

डिक्री बमुकदमें ईब्लदाई  
 अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी  
 पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.  
 प्रकरण संख्या:-339 /2019

1. महेन्द्र पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी मिर्जावाली मैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम

1. भानीराम पुत्र रामप्रताप
2. रामजीलाल पुत्र रामप्रताप
3. शंकरलाल पुत्र रामप्रताप
4. राधादेवी पत्नी रामप्रताप
5. सुमित्रा पुत्री रामप्रताप

जाति जाट निवासीयान मिर्जावाली मैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर प्रसाद वर्मा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री करनैलसिह प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि क.वादी महेन्द्र को चकनं 6 बीआरएन के प0न0 211/384 मु0 8 किलानं 17,19,24/2/.228 है0, ख. प्रतिवादीसं 1 भानीराम को चकनं 6 बीआरएन के प0न0 211/384 मु0 8 किलानं 13,14,18,23/2/.228, ग.प्रतिवादीसं 2 रामजीलाल को चकनं 13 एजी के खाता सं 86/84 में कुल .759 है0 में अंकित वादी व प्रतिवादीसं 1,3 ता 5 का प्रत्येक का 1/6 हिस्सा यानि .759 है0, घ.प्रतिवादी सं 3 शंकरलाल को चकनं 6 बी आरएन के प0न0 211/384 मु0 8 किलानं 2,9,12 कुल .759 है0 के खातेदार काशतकार घोषित किये जाकर चकनं 6 बीआरएन के खातासं 86/79 में से राधादेवी, रामजीलाल, सुमित्रा का नाम कलमजन, चकनं 13 एजी के खाता सं 86/84 में से भानीराम, महेन्द्र, राधादेवी,शंकरलाल, सुमित्रा का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा  
 मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....  
 .....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुज्ज अदालत से आज दिनांक...27/11/19.....को जारी किया गया।

( मीनू वर्मा )

सहायक कलक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी  
 एवं उपखण्डाधिकारी  
 टिब्बी

